संख्या-14/2019/532/38-6-19-03(एसआरएलएम)/2019

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक- 22 अगस्त, 2019

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत डेयरी वैल्यू चेन डेवलेपमेन्ट प्रोजेक्ट हेतु अनुदान सं0-81 में भारत सरकार द्वारा मिशन के खाते में सीधे अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-761/एनआरएलएम/2019-20, दि0-21.06.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत डेयरी वैल्यू चेन डेवलेपमेन्ट प्रोजेक्ट हेतु अनुदान सं0-81 में मिशन के खाते में सीधे ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-के 11011/07/2018-19/एमकेएसपी/एएपी/यूपी, दि0-10.01.2019 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि रू0-1354920.00 (रूपये तेरह लाख चौवन हजार नौ सौ बीस मात्र) तथा पत्रांक-के 11011/07/2018-19/एमकेएसपी/एएपी/यूपी, दि0-07.03.2019 द्वारा केन्द्रांश की धनराशि रू0-2032000.00 (रूपये बीस लाख बत्तीस हजार मात्र) कुल धनराशि रू0 3386920.00 (रूपये तैंतीस लाख छियासी हजार नौ सौ बीस मात्र) अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा मिशन के खाते में सीधे अवमुक्त केन्द्रांश (60 प्रतिशत) रू0 3386920.00 के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (40 प्रतिशत) की धनराशि रू0- 2257947.00 (रूपये बाइस लाख सत्तावन हजार नौ सौ सैंतालीस मात्र) बनती है। उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत रू0-18148.06 लाख बजट की व्यवस्था की गई है। योजनान्र्तगत 60 प्रतिशत केंद्रांश एवं उसके सापेक्ष 40 प्रतिशत राज्यांश (के.60+रा.40) की व्यवस्था है।

2- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि में से भारत सरकार के पत्र दि0-10.01.2019 के माध्यम से अवमुक्त केन्द्रांश (60 प्रतिशत) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (40 प्रतिशत) की धनराशि रू0 903280.00 (रूपये नौ लाख तीन हजार दो सौ अस्सी मात्र) तथा पत्र दिनांक 07.03.2019 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश (60 प्रतिशत) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (40 प्रतिशत) की धनराशि रू0 1354667.00 (रूपये तेरह लाख चौवन हजार छ सौ सरसठ मात्र) कुल धनराशि रू0- 2257947.00 (रूपये बाइस लाख सत्तावन हजार नौ सौ सैंतालीस मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(2) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशानिर्देश तथा राज्य सरकार के सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सराकर अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए ।

(4) इस संबंध में समय समय पर निर्गत शासनदेशों में दिए गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत की गई धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा उसके परीक्षण /सत्यापन कर दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुत: जिन मदों/कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों/कार्यों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाने वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा निर्देशों तथा भारत सरकार के पत्र/स्वीकृत आदेश दिनांक 10.01.2019 एवं 07.03.2019 की शर्तों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।

(10) योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(11) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययिता संबंधी समय समय पर निर्गत शासनादेशों एव वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दि0-22 मार्च, 2019 एवं संबंधित अन्य संगत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं.-81 के लेखाशीर्षक ''2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातीय उपक्षेत्र योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं- यू.ओ.ई-2-598/दस-2019, दिनांक 21 अगस्त, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति तथा समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ के शासनादेश दिनांक 27.03.2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

संख्या-14/2019/532(1)/38-6-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डा0 अम्बरीष कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in